

उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन



ग्राम पंचायत पंथपिपलई क्षेत्र में चयनित स्थलों पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों (1-sided एवं 2-sided) की स्थापना एवं 5 वर्षों तक संचालन, रखरखाव

ई - निविदा क्रमांक : - 2026_UAD_509064_1

NIT No. USCL/431 दिनांक: 20/05/2026

कार्यालय, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड

मेला कार्यालय, कोठी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456010

ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन

ग्राम पंचायत पंथपिपलई क्षेत्र में चयनित स्थलों पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों (1-sided एवं 2-sided) की स्थापना एवं 5 वर्षों तक संचालन, रखरखाव

कार्यालय सचिव

ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन - 456006

निविदा आमंत्रण सूचना

ग्राम पंचायत पंथपिपलई क्षेत्र में चयनित स्थलों पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों (1-sided एवं 2-sided) की स्थापना एवं 5 वर्षों तक संचालन, रखरखाव हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है

ई - निविदा क्रमांक : - 2026_UAD_509064_1

1. समय सारणी :-

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	ऑनलाइन निविदा पंजीयन प्रारंभ करने का दिनांक एवं समय	20-05-2026
2.	प्री-बीड बैठक दिनांक	29-05-2026
3.	ऑनलाइन निविदा ऑफर प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय (तकनीकी और वित्तीय बोली जमा करने की अंतिम तिथि)	11-06-2026, 17:00 pm
4.	निविदा खुलने का दिनांक एवं समय	12-06-2026, 17:00 pm
5.	निविदा का ऑनलाइन वित्तीय प्रस्ताव निविदा प्रपत्रों का मूल्यांकन होने पश्चात ओपन किया जाएगा। जिसकी सूचना एस एम एस / ईमेल के माध्यम से दी जावेगी	सूचित किया जाएगा
6.	निविदा की वैधता अवधि	जमा करने की अंतिम तिथि के 120 दिन बाद

नोट: प्रमुख तिथियों में किसी मामले में, ई-पोर्टल पर दिखाई देने वाली प्रमुख तिथियां अंतिम होंगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट: www.mptenders.gov.in देखें। शुद्धिपत्र या संशोधन, यदि कोई हो, केवल इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

सचिव
ग्राम पंचायत, पंथपिपलई
उज्जैन

मानचित्र

प्रस्तावित स्थल: ग्राम पंचायत पंथपिपलई क्षेत्र

एक-पक्षीय (Single-sided)	4
द्वि-पक्षीय (Double-sided)	3
कुल	7

“सभी स्थल ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक स्थल का अंतिम निर्धारण कार्यादेश के समय किया जाएगा।”

पंथपिपलई क्षेत्र



WWF वाटर पार्क के पास (2 sided)



भारत पेट्रोलियम के पास (1 sided)



ब्रिज के बायीं ओर (1 sided)



ब्रिज के नीचे (1 sided)



अतिथि होटल के पास (2 sided)



पंथपिपलाई के एंटी गेट पर (2 sided)



नाले के पास (1 sided)



Latitude: 23.041825
Longitude: 75.830037
Elevation: 526.11±19.3 m
Accuracy: 3.79 m
Time: 03-12-2026 15:54
Note: chimli road ke pas puliya panthipole

Powered by NoteCam

ऑफर आमंत्रण निविदा प्रपत्र

ग्राम पंचायत पंथपिपलई क्षेत्र में चयनित स्थलों पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों (1-sided एवं 2-sided) की स्थापना एवं 5 वर्षों तक संचालन, रखरखाव हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

स्थान: पंथपिपलई ग्राम पंचायत क्षेत्र, इंदौर रोड, उज्जैन

उक्त निविदा के लिये इच्छुक व्यक्ति / संस्था / साझेदारी फर्म / कंपनी या कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति / संस्था / फ्रेंचाईजी से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

सामान्य विवरण निम्नानुसार है:-

विवरण -	ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन द्वारा राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्ड की स्थापना एवं 5 वर्षों तक रखरखाव
अमानत राशि -	₹ 1,00,000/-
टेण्डर डाक्यूमेंट की लागत -	₹ 10,000/-

टेण्डर डाक्यूमेंट क्रय करने एवं बिड प्रस्तुत करने की दिनांक ई-टेण्डरिंग पोर्टल www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। पोर्टल में उल्लेखित दिनांक अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निविदा ऑफर प्रस्तुतीकरण -

ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक निर्देश

ऑनलाईन बिड करने हेतु ई-टेण्डर पोर्टल "Online bidder Enrollment" पर जाकर लॉगिन एवं पासवर्ड लिया जाना होगा, इस हेतु आवेदक का आयकर पेन कार्ड आवश्यक है एवं ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल सिग्नेचर क्लास-3 साईनिंग की आवश्यकता होगी।

'अनुसूची-2' अनुसार ऑनलाईन ऑफर प्रस्तुत किया जावे। किसी अन्य ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा प्रपत्र, प्रक्रिया, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे, अन्यथा बाद में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा / ऑफर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है।

यह ऑफर ऑनलाईन दो लिफाफा पद्धति पर आधारित है।

पात्रता शर्त - अनुभव (Eligibility Condition - Experience)

1. निविदादाता/आवेदक के पास सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर विज्ञापन माध्यमों, जैसे बिलबोर्ड और डिजिटल डिस्प्ले के ज़रिए उत्पादों, सेवाओं या ब्रांडों का प्रचार करने का अनुभव हो।
2. बिलबोर्ड/डिजिटल डिस्प्ले संचालन का न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जो पिछले 03 (तीन) वर्षों के भीतर (निविदा प्रकाशन तिथि से) का हो।
3. निविदादाता/आवेदक का विगत 03 (तीन) वर्षों के भीतर किसी एक वर्ष का टर्नओवर न्यूनतम रु 12.00 लाख हो।

इस संबंध में आवेदक को अनुभव प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक/एकाधिक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:

- कार्यादेश / अनुबंध की प्रति, अथवा
- संबंधित प्राधिकरण/संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र, अथवा
- जीएसटी पंजीयन, ट्रेड लाइसेंस, बिक्री बिल/इनवॉइस अथवा अन्य वैध दस्तावेज, जिससे उक्त अवधि में समान प्रकृति के व्यवसाय के संचालन का प्रमाण प्राप्त हो।

उपरोक्त अनुभव प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को **अयोग्य (Disqualified)** माना जाएगा तथा उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रथम लिफाफा "ए" जिसमें निम्न दस्तावेज ऑनलाईन सम्बद्ध करें:-

1. अमानत राशि ऑनलाईन ई-पेमेंट के माध्यम से जमा की पावती की स्कैन प्रति।

2. व्यक्तिगत होने पर आवेदक का आधार कार्ड व पेन कार्ड की स्केन प्रति। संस्था/कंपनी होने पर Valid पंजीयन की स्केन प्रति।
3. पात्रता शर्त - अनुभव से सम्बंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।
4. निर्धारित आवेदन प्रारूप "अनुसूची -1" में पूर्ति उपरान्त स्केन प्रति।

द्वितीय लिफाफा "बी" में ऑफर बिड प्रस्तुत की जावे। ऑफर बिड राशि पूर्व निर्धारित न्यूनतम आरक्षित वार्षिक प्रीमियम (Minimum Reserve Premium) से अधिक होनी चाहिए।

लिफाफे 'ए' में वांछित समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगे। पृथक से व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक से भेजे गये दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।

ऑफर बिड अर्थात लिफाफा 'बी' ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जावे। निर्धारित प्रारूप अंतर्गत ऑनलाईन ऑफर प्रस्तुत की जावे। लिफाफा 'ए' में ऑफर के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया जावे अन्यथा टेण्डर निरस्त कर दिया जावेगा।

सर्वप्रथम लिफाफा "ए" खोला जावेगा। अपेक्षित रूप में अमानत राशि, पात्रता शर्त - अनुभव से सम्बंधित दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज पाये जाने पर ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण पश्चात् पात्र व्यक्ति / संस्था / फर्म / कंपनी का लिफाफा "बी" खोला जावेगा। प्राप्त दस्तावेज और वित्तीय ऑफर के मूल्यांकन के आधार चयन किया जावेगा।

अमानत राशि की वापसी -

यथा स्थिति ई-निविदा खोले जाने के पश्चात् उच्चतम निविदादाता की जमा प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं की प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि वापस दी जावेगी। ऐसी जमा अमानत राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

पात्रता योग्यता -

निविदादाता (ऑफरदाता) से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों / मानदण्डों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। शर्तों / मानदण्डों को पूरा करने के लिए या इन शर्तों / मानदण्डों के समर्थन के लिये अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले निविदादाता (ऑफरदाता) को पूर्व मूल्यांकन के दौरान खारिज किया जा सकता है। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

निरर्हता (डिसक्वालिफिकेशन) -

सचिव, ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदादाता (ऑफरदाता) को ऑफर के मूल्यांकन के दौरान या किसी भी समय अयोग्य घोषित कर सकता है यदि -

निविदादाता (ऑफरदाता) द्वारा वांछित पात्रता दस्तावेज की पूर्ति में भ्रामक या झूठा अभ्यावेदन / दस्तावेज प्रस्तुत किया हो।

विवाद समाधान प्रक्रिया -

इस निविदा प्रपत्र की संरचना एवं व्याख्या भारतीय कानून द्वारा शासित है। इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन/इंदौर रहेगा।

टेण्डर की सामान्य शर्तें

1. संबंधित से आशा की जाती है कि वे टेण्डर डाक्यूमेन्ट में लिखित शर्तों का गहन अध्ययन के पश्चात ही ऑफर प्रस्तुत करें।
2. निविदा (ऑफर) प्रस्तुत करने वाले के संबंध में यह माना जावेगा कि उनके द्वारा टेण्डर की समस्त शर्तों का अध्ययन कर समझ लिया गया है।
3. टेण्डर (ऑफर) प्रस्तुत करने के पश्चात निविदादाता (ऑफरदाता) की कोई भी आपत्ति आदि पर विचार नहीं किया जावेगा।

टेंडर की विशेष शर्तें

ग्राम पंचायत पंथपिपलई क्षेत्र में चयनित स्थलों पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों (1-sided एवं 2-sided) की स्थापना एवं 5 वर्षों तक संचालन, रखरखाव हेतु निम्नलिखित शर्तों पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. ई-निविदा के साथ प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि) ऑनलाईन जमा की जाना होगी।
2. यथा स्थिति ई-निविदा खोले जाने के पश्चात् उच्चतम निविदादाता की जमा प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि को छोड़कर शेष सभी निविदादाताओं की प्रतिभूति निक्षेप (अमानत) राशि वापस दी जावेगी। राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निविदादाता द्वारा निर्धारित किये गये बैंक खाते में वापस होगी।
3. निविदादाता व्यक्तिगत होने की स्थिति में आवेदक के आधार कार्ड की स्वच्छ छायाप्रति एवं निविदादाता संस्था हो तो ऐसी स्थिति में संस्था का Valid पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को न्यूनतम आरक्षित वार्षिक प्रीमियम राशि से अधिक (Above Reserve) प्रीमियम राशि का ऑफर देना अनिवार्य होगा। न्यूनतम आरक्षित वार्षिक प्रीमियम से कम ऑफर वाली निविदा स्वतः निरस्त (Rejected) कर दी जाएगी।
5. उच्चतम अतिरिक्त प्रीमियम (Above Reserve Premium) प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को सफल (H1) घोषित किया जाएगा।
6. ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन द्वारा, उच्चतम निविदादाता द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात सर्वोच्च निविदादाता को ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन द्वारा द्वारा ईमेल / वाटसअप के माध्यम से सूचित किये जाने पर सूचना प्राप्ति की दिनांक से 21 (इक्कीस) दिवस में प्रस्तावित वार्षिक प्रीमियम राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रस्तुत ई-निविदा की सक्षम स्वीकृति उपरांत सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 120 दिवस के अंदर शेष समस्त राशि जमा करना अनिवार्य होगा जिसमें ई-निविदा प्रपत्र के संलग्न प्रस्तुत की गई प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जा सकेगी। आवेदक को ई-मेल एवं वाटसअप नंबर दिया जाना अनिवार्य होगा।

7. यदि सर्वोच्च निविदादाता द्वारा उच्चतम वार्षिक प्रीमियम राशि की 25 प्रतिशत राशि या शेष राशि का भुगतान संसुचित अवधि (निर्धारित अवधि) के अंदर नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सचिव, ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह प्राप्त निविदा को अनुपयुक्त (निरस्त) घोषित कर प्रतिभूति निक्षेप (अमानत राशि) (एवं वार्षिक प्रीमियम राशि की 25 प्रतिशत राशि, यदि जमा की गई हो) राजसात कर पुनः ई-निविदा आमंत्रित कर सकेगा। इस सम्बंध में सम्बंधित निविदादाता को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
8. स्वीकृत निविदादाता को 15 दिवस की अवधि में विज्ञापन बोर्ड हेतु प्रस्तावित स्थल का विधिवत कब्जा प्राप्त करना होगा।
9. अनुबंधकर्ता को कार्यादेश जारी होने के 90 दिनों के भीतर कम से कम 50% तथा 180 दिनों के भीतर 100% विज्ञापन बोर्ड स्थापित करना अनिवार्य होगा। सभी स्थलों का संयुक्त संचालन करना होगा। आंशिक कार्य स्वीकृत नहीं होगा।
10. किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सचिव, ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा एवं सचिव, ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम निविदा स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगा।
11. ई-निविदा में प्रस्तुत ऑफर प्रीमियम राशि में प्रतिवर्ष 05% (प्रतिशत) की वृद्धि होगी। उक्त राशि प्रतिवर्ष अग्रिम जमा कराया जाना अनिवार्य होगा जिसपर तत्समय प्रचलित दर अनुसार जी.एस.टी. पृथक से देना होगा। वार्षिक प्रीमियम राशि विलम्ब से जमा किये जाने की स्थिति में 12 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जावेगा।
12. अनुबंध की अवधि 5 वर्ष की होगी जिसे उभय पक्ष की सहमति अनुसार आगामी 5 वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा। अनुबंध दिनांक से ही वार्षिक प्रीमियम राशि देय का प्रारंभ माना जावेगा।
13. ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन में प्रस्तावित विज्ञापन स्थल पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी "Madhya Pradesh Outdoor Advertisement Media Rules - 2016" का पालन करना आवश्यक होगा।
14. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला कलेक्टर उज्जैन अथवा तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
15. निविदादाता को अनुबंध में उल्लेखित शर्तों तथा ऐसी अन्य सभी शर्तों को जो समय-समय पर तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आरोपित की जावे, मान्य होगी।
16. प्रस्तावित विज्ञापन स्थल वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आवंटित की जावेगी।
17. स्थल का स्वामित्व सम्बंधित विभाग / संस्था का रहेगा।
18. निविदादाता को sublet करने का अधिकार नहीं होगा।

19. प्रस्तावित विज्ञापन बोर्ड/स्थल के संचालन में **धार्मिक मर्यादा, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षा एवं सौंदर्यात्मक एकरूपता** के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार एवं ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन द्वारा विशिष्ट/ प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू होंगी।

उल्लंघन की स्थिति में प्रथम बार ₹5,000, द्वितीय बार ₹10,000 का दंड तथा पुनरावृत्ति पर अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी

19.1 Do's (अनिवार्य पालन योग्य निर्देश)

- (i) प्रस्तावित स्थल का संचालन केवल विज्ञापन उद्देश्य से ही किया जाएगा।
- (ii) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत डिज़ाइन के अनुसार होगी। सभी संरचनाएँ IS 875 (Wind Load) एवं प्रचलित सुरक्षा मानकों के अनुरूप तथा चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होंगी।
- (iii) स्थल पर स्वच्छता, कचरा प्रबंधन एवं साफ-सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
- (iv) विज्ञापन बोर्डों के प्रकाश (Illumination) हेतु आवश्यक विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना तथा उससे संबंधित समस्त व्यय जैसे कनेक्शन शुल्क, सुरक्षा जमा, मीटर स्थापना, विद्युत बिल, रखरखाव एवं अन्य सभी देयताओं का वहन करना पूर्णतः अनुबंधकर्ता/निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत / प्राधिकृत संस्था पर कोई भी वित्तीय अथवा वैधानिक दायित्व नहीं होगा।
- (v) सभी कर, शुल्क, जीएसटी, बिजली-पानी बिल आदि का भुगतान समय पर किया जाएगा।
- (vi) सुरक्षा एवं अन्य वैधानिक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (vii) समस्त प्रकार की आवश्यक वैधानिक लाइसेंस/अनुमतियाँ अनुबंधकर्ता द्वारा प्राप्त की जाएँगी।

19.2 Don'ts (निषिद्ध निर्देश)

- (i) विज्ञापन बोर्ड की **स्थायी संरचना में कोई परिवर्तन** बिना अनुमति नहीं किया जाएगा।
- (ii) सबलेटिंग संचालन की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) निर्धारित क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण प्रतिबंधित रहेगा।
- (iv) ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकर, प्रचारात्मक उद्घोषणा की अनुमति नहीं होगी।
- (v) धार्मिक/सांस्कृतिक गरिमा के विपरीत कोई विज्ञापन नहीं किया जाएगा।

19.3 अन्य शर्तें

- (i) अनुबंध अवधि 5 वर्ष की होगी, अनुबंध तिथि से प्रभावी।
- (ii) अनुबंधकर्ता को प्रत्येक विज्ञापन अनुबंध का विवरण ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा तथा आवश्यकता होने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना होगा।
- (iii) ग्राम पंचायत को 10% स्थान सरकारी संदेश हेतु निःशुल्क आरक्षित रहेगा।
- (iv) वार्षिक प्रीमियम राशि नियमानुसार देय होगा, विलंब पर दंडात्मक ब्याज लागू होगा।
- (v) किसी भी सार्वजनिक हित, सुरक्षा या प्रशासनिक आवश्यकता में सक्षम प्राधिकारी को उचित सूचना देकर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (vi) विवाद की स्थिति में **न्याय क्षेत्र - उज्जैन/इंदौर** होगा।

20. प्रस्तावित स्थल पर लगने वाले विज्ञापन का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदाय की जाएगी।

21. निर्धारित क्षेत्र के बाहर के स्थान का किसी भी प्रकार से कोई भी उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर अनुबंधकर्ता द्वारा उक्त स्थान का अन्य उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जमा राशि राजसात कर बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी।

22. अनुबंधकर्ता को विज्ञापन बोर्ड की स्थायी संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन बिना सक्षम स्वीकृति के नहीं किया जा सकेगा।
23. यदि पंथपिपलई ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित स्थल पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्ड की स्थापना एवं 5 वर्षों तक रखरखाव के संचालन हेतु दो या दो से अधिक के उच्चतम ऑफर (वार्षिक प्रीमियम) एक समान राशि का प्राप्त होता है तो संबंधितों से संशोधित ऑफर सीलबंद लिफाफे में प्राप्त कर उच्चतम ऑफर की स्वीकृति का निर्णय लिया जावेगा। सीलबंद लिफाफा खोलते समय संबंधित आफरदाता उपस्थित रह सकते हैं। सीलबंद लिफाफे में प्राप्त आफर में किसी भी प्रकार की कांट-छांट एवं ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगी।
24. यदि आवंटित स्थल पर किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इस प्रकार की क्षति को अनुबंधकर्ता को ही वहन करना होगा।
25. अनुबंधकर्ता किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा, जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आस-पास के रहवासी अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।
26. अनुबंधकर्ता की मृत्यु की दिशा में उसके वैध उत्तराधिकारी के पक्ष में तत्समय प्रचलित नियमों के प्रावधान अनुसार किया जा सकेगा।
27. अनुबंध में अंकित शर्तों का पालन न करने की स्थिति में 30 दिवस का सूचना पत्र दिया जाकर प्राप्त जवाब समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर स्थल पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
28. अनुबंधकर्ता प्रस्तावित स्थल पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्ड की स्थापना एवं 5 वर्षों तक रखरखाव के संचालन के समय किसी भी अपरिहार्य कारणों (किसी योजना अंतर्गत, कॉम्प्लेक्स के नव निर्माण होने, लोकहित में, (ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन / तत्समय संस्था को आवश्यकता होने पर इत्यादि) तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 01 माह की पूर्व सूचना देकर अनुबंध निरस्त किया जाता है, तो ऐसी स्थिति अनुबंधकर्ता को किसी भी प्रकार की आपत्ति या क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु ऐसी स्थिति में निरस्ती दिनांक से वार्षिक प्रीमियम की शेष अवधि की अनुपातिक राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। साथ ही म. प्र. शासन के आदेश या अन्य किसी भी वैधानिक कारण से यदि आवंटित स्थल को को रिक्त कराना आवश्यक हो तो उस परिस्थिति में जिला कलेक्टर उज्जैन अथवा तत्समय के प्राधिकृत अधिकारी स्थल रिक्त कराने का अधिकार प्राप्त होगा तथा उसमें अनुबंधकर्ता को कोई भी आपत्ति करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा परन्तु ऐसी स्थिति में निरस्ती दिनांक से वार्षिक प्रीमियम की शेष अवधि की अनुपातिक राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।
29. अनुबंधकर्ता पर प्रस्थापना (टेंडर) की समस्त शर्तें बंधनकारी रहेंगी।

सचिव

ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन

(आवेदन पत्र)

व्यक्तिगत होने की
दशा में नवीनतम
रंगीन फोटो

प्रति,
सचिव,
ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन।
महोदय,

निवेदन है कि मैं ग्राम पंचायत पंथपिपलई क्षेत्र में चयनित स्थलों पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों (1-sided एवं 2-sided) की स्थापना एवं 5 वर्षों तक संचालन, रखरखाव हेतु हेतु ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कार्य लेने का इच्छुक हूँ।

इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है:-

1. आवेदक / संस्था का पूरा नाम
2. माता/पिता/पति/पत्नी का नाम
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन क्रमांक
4. आवेदक /संस्था का स्थाई पता
5. पत्र व्यवहार का पता
6. आवेदक / संस्था का वाट्सअप मोबाईल नं
7. आवेदक / संस्था का ई-मेल आईडी
8. पात्रता शर्त - अनुभव से सम्बंधित दस्तावेज. (संलग्न)
9. आवेदक / संस्था ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन द्वारा प्रस्तावित स्थल पर विज्ञापन बोर्ड की स्थापना एवं 5 वर्षों तक संचालन कैसे करेगा? (स्पष्ट उल्लेखित करे)
.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(घोषणा)

1. मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सत्य है।
2. मैंने ग्राम पंचायत पंथपिपलई क्षेत्र में चयनित स्थलों पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों (1-sided एवं 2-sided) की स्थापना एवं 5 वर्षों तक संचालन, रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत, पंथपिपलई, उज्जैन द्वारा निर्धारित शर्तों शर्तों को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिया है। मैं शर्तों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

आवेदक (घोषणाकर्ता)

ऑफर बिड

सभी निविदादाता यह ध्यान रखें कि वार्षिक प्रीमियम राशि का ऑफर ऑनलाईन दिया जाना होगा।

निविदा से संबंधित जानकारी सचिव, ग्राम पंचायत, पंथपिपलाई, उज्जैन कार्यालय के सूचना पटल / नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

क्र	कार्य विवरण	न्यूनतम आरक्षित वार्षिक प्रीमियम (रु)	वार्षिक प्रीमियम ऑफर राशि (रु)
1.	ग्राम पंचायत पंथपिपलाई क्षेत्र में चयनित स्थलों पर राजस्व-साझाकरण व्यवसाय मॉडल के तहत विज्ञापन बोर्डों (1-sided एवं 2-sided) की स्थापना एवं 5 वर्षों तक संचालन, रखरखाव हेतु		
1.1	WWF वाटर पार्क के पास (2 sided)	रु 2,40,000	
1.2	भारत पेट्रोलियम के पास (1 sided)	रु 1,20,000	
1.3	ब्रिज के बायीं ओर (1 sided)	रु 1,20,000	
1.4	ब्रिज के नीचे (1 sided)	रु 1,20,000	
1.5	अतिथि होटल के पास (2 sided)	रु 2,40,000	
1.6	पंथपिपलाई के एंट्री गेट पर (2 sided)	रु 2,40,000	
1.7	नाले के पास (1 sided)	रु 1,20,000	
कुल ऑफर राशि (शब्दों में)		रु 12,00,000	
रु			

नोट:-

- (i) ऑफर राशि की बिड ऑनलाईन प्रस्तुत की जावे।
- (ii) निविदादाता द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रीमियम ऑफर राशि (वित्तीय प्रस्ताव) न्यूनतम आरक्षित वार्षिक प्रीमियम राशि से अधिक होना अनिवार्य होगा। न्यूनतम आरक्षित प्रीमियम से कम की कोई भी निविदा बिना किसी सूचना के निरस्त कर दी जाएगी।
- (iii) उच्चतम अतिरिक्त प्रीमियम (Above Reserve Premium) प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को सफल (H1) घोषित किया जाएगा।